रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2009/वैशाख 29, 1931

No. 786] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2009/VAISAKHA 29, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 2009

का.आ. 1268(अ).—जबकि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के का.आ. 692(अ) के एक आदेश द्वारा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण का गठन दिनांक 25 मार्च, 2008 को 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए किया ।

और, जबकि, केन्द्र सरकार का विचार है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन अवश्य किया जाए ।

अतः, अब, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 31 दिसम्बर, 2010 तक के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है ।

1.	सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	—अध्यक्ष
2.	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा ।	—सदस्य
3.	मुख्य टाऊन प्लानर, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, चेन्नै ।	—सदस्य
4.	सदस्य अथवा समान रैंक का अधिकारी, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली ।	—सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (पर्यटन) अथवा उसका प्रतिनिधि, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	—सदस्य
6.	महानिदेशक (मत्स्य), कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।	—सदस्य
7.	सदस्य अथवा समान रैंक का अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली ।	—सदस्य

8	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रो.एस रामचन्द्रन, उप कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय चेपक, चेन्नै -600 005,	सदस्य
10	डॉ. एम बाबा निदेशक, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, अक्कुलम तिरुवनंतपुरम	सदस्य
11	श्री वी.विवेकानंदन, साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमेन सोसाइटीज करमना, त्रिवेंद्रम -695 002,	सदस्य
12	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, प्रभारी, तटीय जोन प्रबंधन	सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण करने और उसमें सुधार करने तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय ।

(ii) राज्य तटीय जोन प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन अथवा उपांतरणों के प्रस्तावों की जांच करना और उसके लिए केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(iii) (क) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों को उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ।

(ख) (iii) (क) मामलों का स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करना ।

(iv) इस अधिनियम के उप पैरा (iii) (क) के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना; और

(v) इस अधिनियम के उप-पैरा (i), (ii) और (iii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों, संघ राज्य क्षेत्र, तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं को तकनीकी सहायता देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा यदि तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से संबंधित विषय में यह आवश्यक हो।

IV. प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यक क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध जोन, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ।

V. प्राधिकरण द्वारा अंगीकार करने हेतु सामान्य आयोजन दिशानिर्देशों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें सामान्य तथा मामला दर मामला जांच की आवश्यकता को दूर किया जाएगा ताकि वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिकांश हिस्से के लिए अनुमोदन प्रदान करने में सक्षम हो सके ।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमत जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में केन्द्र सरकार की नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केन्द्र स्थापित करना और उन्हें धन उपलब्ध कराने में सलाह देगा ।

VII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित स्थापित पर्यावरणीय मुद्दों का निपटान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

VIII. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छः मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

IX. प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को इन्टरनेट वेबसाइट www.envfor.nic.in सहित पब्लिक डोमेन पर डालेगा और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के प्रदर्शन के लिए प्रावधान करेगा ।

X. प्राधिकरण, की उपर्युक्त शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन के अधीन होंगे ।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

XII. इस प्रकार पुनर्गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट किसी विषयों का संबंधित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आई ए-III]

ज. मो. माऊसकर, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 19th May, 2009

S.O. 1268(E).—WHEREAS by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.692(E), dated the 25th March, 2008, the Central Government constituted the National Coastal Zone Management Authority for a period upto the 31st December, 2008;

AND WHEREAS, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons with effect from the date of publication of this Order to the 31st December, 2010, namely:-

1.	Secretary Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	- Chairperson
2.	Director, National Institute of Oceanography, Goa.	- Member
3.	Chief Town Planner, Town and Country Planning Organization Chennai	- Member
4.	Member or an Officer of an equivalent rank Central Groundwater Board, New Delhi.	- Member
5.	Joint Secretary (Tourism), or his representative Ministry of Tourism, New Delhi.	- Member
6.	Director General (Fisheries) Ministry of Agriculture, New Delhi.	- Member
7.	Member or an Officer of equivalent rank Central Water Commission, New Delhi	- Member
8.	A representative from Space Application Centre Ahmedabad.	- Member

9. Prof. S. Ramachandran, Vice Chancellor, University of Madras, Chepauk, Chennai - 600 005. - Member

10. Dr. M. Baba, Director, Centre for Earth Science Studies, Akkulam, Thiruvananthapuram – 695031. - Member

11. Shri V. Vivekanandan, South Indian Federation of Fishermen Societies. Karamana, Trivandrum - 695 002. - Member

12. Additional Secretary/Joint Secretary, In-charge of Coastal Zone Management. - Member Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas, namely:-

(i) co-ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;

(ii) examination of the proposals for changes and modifications in classification of coastal zone areas and in the coastal zone management plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities and making specific recommendations to the Central Government therefor;

(iii) (a) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under section 5 of the said Act;

(b) review of cases under sub-paragraph (iii) (a) either *suo-moto*, or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organisation functioning in the field of environment;

(iv) file complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (iii) (a); and

(v) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), (ii) and (iii).

III. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.

IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities.

V. The Authority shall put in place a general planning guideline to be adopted which will ordinarily obviate need for case-by-case examination, enabling it to accord approvals for the most part on the basis of the examination done by the State/Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

VI. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centres of excellence and funding, in matters relating to coastal regulation zone management.

VII. The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

VIII. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.

IX. The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Internet website www.envfor.nic.in, and shall create provision for displaying of status of proposals received from State and Union Territories.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so re-constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/1996-I A-III]

J. M. MAUSKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.